न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

ठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
द सं0 16/12
र्णय दिनांकः 18.06.2018

1. गोरधन पुत्र बोदूराम जाति कुमावत नि0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियेः–
   (क) श्रीमान् कलेक्टर महोय जयपुर जिला जयपुर
   (ख) तहसीलदार जी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 86 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा वाकै ग्राम हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिस पर वादी वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट के पूर्व से बहैसियत खातेदार काबिज है काश्त करता है लगान अदा करता है पहलें वादी के बुजर्ग व वादी के पिता स्व0 बोदूराम काबिज थे काश्त करते थे उनकी मृत्यु के बाद वादी काबिज है काश्त करता है काश्तकारी कानून व पंचायत अधिनियम लागू होने के पूर्व से वादी व उनके बुजुर्ग का ही कब्जा चला आ रहा है कभी राजस्थान सरकार या ग्राम पंचाचयत का उक्त भूमि पर कोई कब्जा या स्वामित्व नहीं रहा है न ही खं0नं0 86 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा का कोई भाग रास्तें के काम भी आता है खं0नं0 86 में जो 3 विस्वा भूमि रास्तें की है वह अलग है। आराजी खं0नं0 86 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा भूमि वाकै ग्राम हिरनोदा में स्थित है जिसके 3 विस्वा भूमि के पूर्व की तरफ आम रास्ता है तथा वादी ने भी अपनी भूमि के पड़ौस में 3 विस्वा भूमि रास्तें के रूप मे छोड़ रखी है तथा 2 बीघा 15 विस्वा भूमि के चारो तरफ वादी ने अपने कब्जें व स्वामित्व की भूमि के डोल मिट्टी की लगा रखी है तथा बिना बाधा लगातार अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा आजतक वादी को राजस्थान सरकार या ग्राम पंचायत द्वारा खं0नं0 86 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा के किसी भाग से उसे कभी बेदखल नहीं किया गया है तथा आज भी उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा व स्वामित्व है खसरा परिवर्तनशील व लगान पेनेल्टी की असल रसीद भी वादी के पास मौजूद है उक्त भूमि पर वादी के स्वत्व व अधिकार परिपक्व हो चुके है। खं0नं0 86 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा का नक्शा ट्रेस देखने में भी प्रकट होता है कि उक्त भूमि रास्ता की न होकर खेती की है वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट आराजी खं0नं0 86 के 3 विस्वा का अलग नम्बर डालकर रास्ता का नक्शा बनाना चाहिए था तथा खं0नं0 86 के 2 बीघा 15 विस्वा का अलग नक्शा बनाकर अलग होना चाहिए था तथा दोनों रकबों का अलग अलग नक्शा व जमाबन्दी खाता अलग अलग होना चाहिए था पर्चा सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से खं0नं0 86 का नक्शा व पर्चा 3 विस्वा रास्ता की भूमि का व वादी के कब्जें व स्वामित्व की 2 बीघा 15 विस्वा का एक ही नक्शा

अधि...
र लेक

Scanned by CamScanner

किया जबकि उक्त दोनों का बना लिया जबकि उक्त दोनों का
पर्चा ख0नं0 86 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा का बना लिया जबकि उक्त दोनों का
लग अलग नक्शा व पर्चा बनाना चाहिए था मौके पर आज भी रास्ता व वादी का
त अलग अलग चाहिए था। मौके पर आज भी रास्ता व वादी का खेत अलग
लग बना हुआ है तथा उनकी सीमा व पहचान भी अलग अलग है। राजस्व
कोर्ड में दरबक्त पर्चा सेटलमेन्ट उक्त भूमि सिवाय चक बिना लगानी दर्ज होने से
टवारी हल्का बार बार धारा 91 एल0आर0ए0 के तहत समय समय पर नोटिस
कर वादी को परेशान किया जा रहा है वादी को संवत् 2012 के पूर्व में लगातार
ब्जा चला आ रहा है तथा तहसीलदार फुलेरा ने आदेशदिनांक 15.09.98 में
0नं0 86 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा मे से 3 बिस्वा में रास्ता होना व शेष 2 बीघा
5 बिस्वा खेत होना व खेत के आकार का होकर खेती के काम आना बताया
लेकिन राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण नियमन न
कर बेदखली का आदेश कर दिया लेकिन आजतक वादी को बेदखल नहीं किया
गया है आज भी वादी का उक्त आराजी ख0नं0 86 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर
कब्जा है। वादी ने अपने अभिभावक के मार्फत दिनांक 27.03.11 को एक कानूनी
नोटिस प्रतिवादी सं0 1 व 2 को प्रेषित करवाया जो प्रतिवादी सं0 1 व 2 को प्राप्त
हो चुका है लेकिन नोटिस प्राप्ति के 2 माह की अवधि के बाद भी उन्होनें वादी के
नाम ख0नं0 86 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी दर्ज नहीं की है इसलिए
वादी को उक्त वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया। वकील वादी ने दस्तावेज सूची के संलग्न दस्तावेजात पेश किये। तनकीयात कायम की गयी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र हिरनोदा में पेश हुयी। वादी उपस्थित है। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त आराजी पर्चा सेटलमेन्ट सं0 2011 से 2029 की जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवाय चंक बिला लगानी गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कर रखी है जिसका इन्द्राज बदस्तूर संवत् 2066 से 2069 तक दर्ज है इस प्रकार उक्त आराजी गै0मु0 रास्ता क़ी आराजी है जिसकी खातेदारी घोषित किया जाना काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार वंर्जित है इसलिए वादी का वाद चलने योग्य न होने से खारिज किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प हिरनोदा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

इजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

गोरधन बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 16 / 12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कालूसिंह व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद खारिज किया जाता है। ....निज .... मुबलिग.. बाबत्..................................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.................................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक............................ ...का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.................

उपखण्ड अधिकारी

सांभर लेक

मुहर

ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner